

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- सगस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- सगस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

आयोग) अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 05 नवम्बर, 2014

विषय:- वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के सजान में यह आया है कि सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के अन्तर्गत समय-समय पर निर्गत किये गये कई शासनादेशों/स्पष्टीकरणों के बावजूद ए0सी0पी0 का लाभ स्वीकृत करने में कठिनाई बतायी जा रही है जिसके फलस्वरूप सम्बन्धित कामियों को उक्त लाभ अनुमन्य होने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। अतः उक्त कठिनाइयों के निराकरण करने के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के अन्तर्गत समय-समय पर जारी शासनादेशों/स्पष्टीकरणों (शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-561/दस-62(एम)/2008, दिनांक 04 मई, 2010, स्पष्टीकरण संख्या-वे0आ0-2-3012/दस-62(एम)/2008, दिनांक 29 सितम्बर, 2010, स्पष्टीकरण संख्या-वे0आ0-2-798/दस-62(एम)/2008, दिनांक 30 मई, 2011, शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-253/दस-62(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 17 फरवरी, 2011, शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2104/दस-62(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011, स्पष्टीकरण संख्या-वे0आ0-2-2118/दस-62(एम)/2008, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011, शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-130/दस-62(एम)/2008, दिनांक 21 फरवरी, 2014, शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-323/दस-62(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 11 जून, 2014 तथा शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-377/दस-62(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 05 अगस्त, 2014) को एतद्वारा अवक्रमित कर उनमें दी गयी व्यवस्थाओं को समेकित कर अनुमय की जा रही विसंगतियों का निराकरण करने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था

है।

- (9) किसी कर्मिक द्वारा प्रदेश के अन्य राजकीय विभागों में समान ग्रेड वेतन में की गयी नियमित सेवा को वित्तीय स्तरान्तरण के लिए गणना में लिया जायेगा, परन्तु ऐसे मामलों में ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत देय किसी लाभ हेतु नये विभाग के पद पर परीक्षा अवधि (Probation Period) सन्तोषजनकरूप में पूर्ण करने के उपरान्त ही विचार किया जायेगा एवं सम्बन्धित लाभ देय तिथि से ही अनुमन्य कराया जायेगा।
- (10) केन्द्र सरकार/स्थानीय निकाय/स्वशासी संस्था/सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम में की गयी पूर्व सेवा को वित्तीय स्तरान्तरण के लिए गणना में नहीं लिया जायेगा।
- (11) ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरान्तरण हेतु नियमित सन्तोषजनक सेवा की गणना में प्रतिनियुक्ति/वाह्य सेवा, अध्ययन अवकाश तथा सक्षम स्तर से स्वीकृत सभी प्रकार के अवकाश की अवधि को सम्मिलित किया जायेगा। ए०सी०पी० की अनुमन्यता हेतु रोजगार अवकाश की अवधि को सेवाकाल की गणना में नहीं लिया जायेगा।
- (12) यदि किसी सवर्ग/पद के सम्बन्ध में समयमान वेतनमान/समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति की कोई विशिष्ट व्यवस्था शासनादेशों अथवा सेवा-नियमावली के माध्यम से लागू हो तो उस व्यवस्था को भविष्य में बनाये रखने अथवा उसके अन्तर्गत ए०सी०पी० की उपर्युक्त व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में सं-प्रशासकीय विभाग द्वारा सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाये। किसी भी हेतु समयमान वेतनमान/समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति की कोई विशिष्ट तथा ए०सी०पी० की व्यवस्था एक साथ लागू नहीं होगी।
- (13) वित्तीय स्तरान्तरण का लाभ अनुमन्य होने के आधार पर सम्बन्धित कर्मिक के पदनाम, श्रेणी अथवा प्रास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा किन्तु वित्तीय स्तरान्तरण के फलस्वरूप अनुमन्य मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन तथा ग्रेड वेतन का योग) के आधार पर सेवा-नियुक्ति तथा अन्य लाभ सम्बन्धित कर्मिक को अनुमन्य होंगे।
- (14) यदि किसी कर्मचारी के विशिष्ट अनुशासनात्मक कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही प्रचलन में हो तो ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरान्तरण के लाभ की अनुमन्यता अज्ञित रूप से निर्णय होने तक स्थगित रहेगी। अज्ञित निर्णय के उपरान्त निर्दोष पाये जाने की दशा में अनुमन्यता के दिनांक से वित्तीय स्तरान्तरण का लाभ देय होगा परन्तु दोषी पाये जाने की दशा में स्थगित कर्मचारी द्वारा कर्मिक को दिये गये दण्ड पर विचारोपरान्त देयता के

उदाहरण-2(ii)

इसी प्रकार वेतनमान ₹0 5000-8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में साहस्य वेतन बैंड-2 एवं ग्रेड वेतन ₹0 4200/-) के उपर्युक्त पद पर कार्यरत पदधारक को 24 वर्ष के आधार पर द्वितीय अगले वेतनमान के रूप में ₹0 6500-10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में साहस्य वेतन बैंड-2 एवं ग्रेड वेतन ₹0 4600/-) अनुमन्य हुआ। दिनांक 01 जनवरी, 2006 से उपर्युक्त पद पर प्रथम अगले वेतनमान के रूप में वेतन बैंड-2 एवं ग्रेड वेतन ₹0 4600/- से अगला वेतन बैंड-2 एवं ग्रेड वेतन ₹0 4800/- अनुमन्य होने की स्थिति बन रही है। फलस्वरूप उक्त कार्मिक को पूर्व से द्वितीय अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य ₹0 6500-10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में साहस्य वेतन बैंड-2 एवं ग्रेड वेतन ₹0 4600/-) के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से अगला वेतन बैंड-2 एवं ग्रेड वेतन ₹0 4800/- अनुमन्य होगा।

उक्तानुसार अनुमन्य उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के साहस्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या-वै0आ-2-1318/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 तथा तत्कम में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों की व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

शासनादेश संख्या-वे0जा0-2-773 (1)/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2015
का संलग्नक

उदाहरण-1

वेतनमान ₹0 4000-6000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में साहय वेतन बैंड-1 एवं ग्रेड वेतन ₹0 2400/-) के पद पर कार्यरत कर्मिक को 14 वर्ष की सेवा के आधार पर उपर्युक्त पद हेतु उपलब्ध पदोन्नति के पद का वेतनमान ₹0 4500-7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में साहय वेतन बैंड-1 एवं ग्रेड वेतन ₹0 2800/-) अनुमन्य हुआ। तदोपरान्त पदोन्नति के पद का वेतनमान संशोधित करते हुए ₹0 5000-8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में साहय वेतन बैंड-2 एवं ग्रेड वेतन ₹0 4200/-) का संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान अनुमन्य कराया गया। फलस्वरूप उपर्युक्त कर्मिक को पूर्व से स्वीकृत प्रोन्नतीय वेतनमान ₹0 4500-7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में साहय वेतन बैंड-1 एवं ग्रेड वेतन ₹0 2800/-) के स्थान पर, पदोन्नतीय पद के वेतनमान में संशोधन/उच्चीकरण के दिनांक से संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान ₹0 5000-8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में साहय वेतन बैंड-2 एवं ग्रेड वेतन ₹0 4200/-) वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होगा।

उदाहरण-2(1)

वेतनमान ₹0 5000-8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में साहय वेतन बैंड-2 एवं ग्रेड वेतन ₹0 4200/-) के लिए पदोन्नति का पद उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त पद पर कार्यरत पदधारक को 14 वर्ष के आधार पर प्रथम वैयक्तिक अगले वेतनमान के रूप में ₹0 5500-9000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में साहय वेतन बैंड-2 एवं ग्रेड वेतन ₹0 4200/-) अनुमन्य हुआ। इस प्रकार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पद के वेतन तथा समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से अनुमन्य वेतनमान समान वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होने की स्थिति बन रही है। फलस्वरूप सम्बन्धित पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से 14 वर्ष के आधार पर प्रथम वेतनमान के रूप में पद हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित साहय वेतन बैंड-2 एवं ग्रेड वेतन ₹0 4200/- से अगला वेतन बैंड-2 एवं ग्रेड वेतन ₹0 4600/- अनुमन्य होने की स्थिति बन रही है। फलस्वरूप उक्त कर्मिक को पूर्व से प्रथम अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य ₹0 5500-9000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में साहय वेतन बैंड-2 एवं ग्रेड वेतन ₹0 4200/-) के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से वेतन बैंड-2 एवं ग्रेड वेतन ₹0 4600/- अनुमन्य होगा।

का ग्रेड वेतन उच्चिकृत होकर ₹0 4800/- हो गया। समीक्षा अधिकारी पद के ऐसे पदधारक जिन्हें दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 के पूर्व प्रथम वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में ग्रेड वेतन ₹0 4800/- अनुमन्य हो चुका था उन्हें दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 से ग्रेड वेतन ₹0 5400/- में उच्चिकृत कर दिया जाएगा। इस उच्चिकरण के फलस्वरूप वेतन निर्धारण में केवल उच्चिकृत ग्रेड वेतन का लाभ देय होगा, वेतनवृद्धि देय नहीं होगी, क्योंकि वेतनवृद्धि का लाभ प्रथम वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में ग्रेड वेतन ₹0 4800/- अनुमन्य होने पर दिया जा चुका है।

उदाहरण-2 ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरान्तरण अनुमन्य होने के उपरान्त समूह "घ" (अनुसूचक) के पद पर अनुमन्य वेतन बैंड ₹0 4440-7440 एवं ग्रेड वेतन ₹0 1300/- के स्थान पर दिनांक 08 सितम्बर, 2010 से संशोधित/उच्चिकृत वेतन बैंड ₹0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन ₹0 1800/- अनुमन्य किया गया। इस उच्चिकरण के फलस्वरूप समूह "घ" के तीन कर्मचारियों क्रमशः ए, बी तथा सी को मिल रहे वेतनमान/समयमान वेतनमान/वित्तीय स्तरान्तरण के क्रम में संशोधित वित्तीय स्तरान्तरण की अनुमन्यता निम्नानुसार होगी :-

1-	समूह "घ" (अनुसूचक) के पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	₹0 4440-7440 एवं ₹0 1300/-
2-	दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को अनुसूचक "ए" को अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	
3-	समयमान वेतनमान की पूर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पूर्व	
	(i) अनुसूचक "बी" को प्रथम वैयक्तिक वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन।	7440 एवं ₹0 1650/-
	(ii) अनुसूचक "सी" को द्वितीय वैयक्तिक वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन।	₹0 5200-20200 एवं ₹0 1800/-
4-	ए0सी0पी0 के अन्तर्गत दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से	
	(i) अनुसूचक "ए" को प्रथम वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन।	₹0 4440-7440 एवं ₹0 1400/-

पदोन्नति उपर्युक्त लाभ प्राप्त करने के उपरान्त निम्न वेतनमान में अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पश्चात् समान/उच्च वेतनमान (सादृश्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन) में हो जाती है तो तृतीय ए0सी0पी0 की अनुमन्यता हेतु ऐसी पदोन्नति का संज्ञान नहीं लिया जायेगा और उसे अनुमन्यता की तिथि को प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

परन्तु,

दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पूर्व प्राप्त पदोन्नति अथवा समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनमानों के संविलियन/पदों के उच्चीकरण के फलस्वरूप सम्बन्धित पद के साधारण ग्रेड वेतन के समान हो जाने की स्थिति में ऐसी पदोन्नति अथवा पदोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान को ए0सी0पी0 की व्यवस्था का लाभ देते समय संज्ञान में नहीं लिया जायेगा और उसकी कुल सेवावधि को सम्बन्धित पद पर की गयी सेवा मानते हुए ए0सी0पी0 का लाभ देय होगा।

(iv) वरिष्ठ कार्मिक को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में प्रथम/द्वितीय वैयक्तिक पदोन्नति/अगला वेतनमान अनुमन्य होने और कनिष्ठ कार्मिक को ए0सी0पी0 के रूप में प्रथम/द्वितीय ए0सी0पी0 अनुमन्य होने के फलस्वरूप वरिष्ठ का वेतन, कनिष्ठ के सापेक्ष कम होने से उत्पन्न विसंगति के निराकरण हेतु वरिष्ठ का वेतन भी कनिष्ठ के समान विसंगति के दिनांक से कर दिया जायेगा। उपर्युक्त लाभ सम्बन्धित वरिष्ठ कार्मिक को तभी अनुमन्य होगा जब वरिष्ठ तथा कनिष्ठ दोनों कार्मिकों की भर्ती का स्रोत एवं सेवा शर्तें समान हों।

(v) यदि सम्बन्धित कार्मिक दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को धारित पद के रु समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर वैयक्तिक वेतनमान में कार्यरत है तो पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त वैयक्तिक वेतनमान का अनुमन्यता हेतु जिन तदर्थ सेवाओं को गणना में लिया जा चुका है, ए0सी0पी0 की व्यवस्था में आगे वित्तीय स्तरोंन्नयन की अनुमन्यता हेतु गणना में लिया जायेगा। जिन कार्मिकों को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में 08 वर्ष की सेवा के आधार पर वेतनवृद्धि दिये जाने हेतु तदर्थ सेवाओं को जोड़ा गया है, उन्हें ए0सी0पी0 का लाभ दिये जाने हेतु भी तदर्थ सेवाओं को जोड़ा जायेगा।

5- ए0सी0पी0 की व्यवस्था में वित्तीय स्तरोंन्नयन अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण संलग्नक-2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। तदोपरान्त कर्मचारी की उसी ग्रेड वेतन, जो वित्तीय स्तरोंन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ है, में नियमित पदोन्नति होने पर कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि पदोन्नति के पद

सम्बन्ध में संस्तुति की जायेगी। रकीनिंग कमेटी की संस्तुतियों पर प्राधिकार प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

- (15) इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय स्तरोन्नयन पूर्णतया वैयक्तिक है और इसका कर्मचारी की वरिष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई कनिष्ठ कर्मचारी इस व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त करता है, तो वरिष्ठ कर्मचारी इस आधार पर उच्च वेतन/ग्रेड वेतन की मांग नहीं करेगा कि उसी कनिष्ठ कर्मचारी को अधिक वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त हो रहा है।
- (16) यदि कोई सरकारी सेवक किसी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु अहं होने के पूर्व ही उसे दी जा रही नियमित पदोन्नति लेने से मना करता है तो उस सरकारी सेवक को अनुमन्य उस वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ नहीं दिया जायेगा। यदि वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये जाने के पश्चात् सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा नियमित प्रोन्नति लेने से मना किया जाता है तो सम्बन्धित सरकारी सेवक को अनुमन्य किया गया वित्तीय स्तरोन्नयन वापस नहीं लिया जायेगा। तथापि ऐसे सरकारी सेवक को अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु तब तक अहंता के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह प्रोन्नति लेने हेतु सहमत न हो जाये। उक्त स्थिति में अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की देयता हेतु समयावधि की गणना में, पदोन्नति लेने से मना करने तथा पदोन्नति हेतु सहमति दिये जाने के मध्य की अवधि को, सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- (17) ऐसे सरकारी सेवक जो उच्च पदों पर कार्यरत हैं और उन्हें निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन उच्च पद पर मिल रहे ग्रेड वेतन के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन निम्न है, तो निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन के आधार पर कार्यरत रहने की अवधि तक अनुमन्य नहीं होगा। यदि सरकारी सेवक के निम्न पद पर आने पर उक्त लाभ देयता के आधार पर अनुमन्य कराते हुए उसका वास्तविक लाभ उक्त पद पर आने की तिथि से अनुमन्य होगा। यदि निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन उच्च पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से उच्च है तो सम्बन्धित वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देयता की तिथि से उक्त उच्च पद पर ही अनुमन्य होगा।
- (18) प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर कार्यरत सरकारी सेवकों को ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त करने हेतु अपने पितृक विभाग के मूल पद के आधार पर ए०सी०पी० के अन्तर्गत देय वेतन ग्रेड में वेतन एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के वर्तमान पद पर अनुमन्य हो रहे वेतन ग्रेड एवं ग्रेड वेतन, जो भी लाभप्रद हो, को चुनने का विकल्प होगा।

(6) ऐसे मामलों में जहाँ किसी कारणवश प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य साहश्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में परिवर्तन होता है तो समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अधीन अनुमन्य हो चुके प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान भी तदनुसार परिवर्तित हो जायेंगे। अर्थात् उक्त परिवर्तन के फलस्वरूप यदि प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान उच्चीकृत होता है तो ऐसे उच्चीकरण की तिथि से उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के साहश्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान निम्नीकृत होने की दशा में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के साहश्य वेतन बैंड/ग्रेड वेतन यथावत बना रहेगा। उदाहरण संलग्नक-1 पर उपलब्ध है।

4- ऐसे कर्मिक जो दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को समयमान वेतनमान की पूर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ वित्तीय रूप से प्राप्त कर रहे हैं अथवा उक्त लाभ प्राप्त करने के उपरान्त उनकी वारताविक पदोन्नति निम्न वेतनमान में होती है अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पश्चात् उसी वेतनमान/उच्च वेतनमान में होती है तो ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 अथवा उसके उपरान्त निम्नानुसार अनुमन्य होंगे :-

- (i) समयमान वेतनमान की पूर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत 08 वर्ष तथा 19 वर्ष के आधार पर अनुमन्य अतिरिक्त वेतनवृद्धि को ए०सी०पी० के अन्तर्गत देय वित्तीय स्तरोंन्वयन की अनुमन्यता हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।
- (ii) जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्ण व्यवस्था में 05/08/14 वर्ष की सेवा के आधार पर प्रथम वित्तीय उच्च वेतनमान प्राप्त हो रहा है उन्हें उक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा सहित कुल 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008, जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोंन्वयन अनुमन्य होगा। ऐसे पदधारक जिनकी पदोन्नति उपर्युक्तानुसार समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पश्चात् समान/उच्च वेतनमान (साहश्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन) में हो जाती है तो द्वितीय ए०सी०पी० की अनुमन्यता हेतु ऐसी पदोन्नति का संज्ञान नहीं लिया जायेगा और द्वितीय ए०सी०पी० के रूप में वर्तमान में प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।
- (iii) जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्ण व्यवस्था में 14/16/18/24 वर्ष की सेवा के आधार पर द्वितीय वित्तीय वेतनमान प्राप्त हो रहा है उन्हें उक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा सहित कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008, जो भी बाद में हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोंन्वयन अनुमन्य होगा। ऐसे पदधारक जिनकी

दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से लागू होगी।

(2) वेतनमान रु 8000-13500 से निम्न वेतनमान के पदों पर लागू समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक लागू रहेगी। इसी प्रकार वेतनमान रु 8000-13500 अथवा उच्च वेतनमान के पदों पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 तक लागू व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक लागू रहेगी। शासनादेश संख्या वे०प्र०-2-1314/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 का प्रस्तर-4 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(3) पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) लागू किये जाने के दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को यदि कोई पदधारक सीधी भर्ती/एक अथवा एक से अधिक पदोन्नति प्राप्त कर पद के साधारण वेतनमान में है और उसे उस पद पर समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में कोई लाभ अनुमन्य नहीं हुआ है तो उसे सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था के अन्तर्गत वर्तमान में अनुमन्य हो रहे ग्रेड वेतन से अगले ग्रेड वेतन के रूप में कुल तीन वित्तीय स्तरोंन्नयन क्रमशः 10 वर्ष, 16 वर्ष एवं 26 वर्ष की सेवा पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य कराये जायेंगे :-

(क) उपर्युक्त श्रेणी के कामिर्कों को प्रथम वित्तीय स्तरोंन्नयन उक्त पद पर 10 वर्ष की नियमित एवं निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर देय होगा।

(ख) उपर्युक्त श्रेणी के कामिर्कों को प्रथम वित्तीय स्तरोंन्नयन में अनुमन्य वेतन में 06 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोंन्नयन देय होगा परन्तु जिन्हें प्रथम वित्तीय स्तरोंन्नयन 10 वर्ष से अधिक की सेवा पर दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से अनुमन्य हुआ है, उन्हें द्वितीय वित्तीय स्तरोंन्नयन उक्त पद पर कुल 16 वर्ष की सेवा पर देय होगा, भले ही दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के बाद सम्बन्धित कामिक की सेवाएं 06 वर्ष पूर्ण न हुयी हों अथवा समान ग्रेड वेतन में पदोन्नत हो चुका हो।

परन्तु यदि उक्त पदधारक की प्रोन्नति प्रथम वित्तीय स्तरोंन्नयन प्राप्त होने के पूर्व दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पश्चात् होती है तो उसे द्वितीय वित्तीय स्तरोंन्नयन प्रोन्नति की तिथि से 06 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय होगी, किन्तु यदि उसकी प्रोन्नति प्रथम वित्तीय स्तरोंन्नयन प्राप्त होने के पश्चात् होती है तो उसे द्वितीय वित्तीय स्तरोंन्नयन, प्रथम वित्तीय स्तरोंन्नयन प्राप्त होने के दिनांक से 06 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पर देय होगा।

9- समयमान वेतनमान की पूर्वे व्यवस्था में दिनांक 01 जनवरी, 2006 से 30 नवम्बर, 2008 तक वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य होने के फलस्वरूप सम्बन्धित कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ प्राप्त किये जाने हेतु निम्नानुसार विकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार होगा :-

"समयमान वेतनमान की उपरोक्त व्यवस्था के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या-वे03110-2-561/दस-62(एम)/2008, दिनांक 04 मई, 2010 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने के सम्बन्ध में दिये गये विकल्प के स्थान पर सम्बन्धित पदधारक द्वारा संशोधित विकल्प समयमान वेतनमान स्वीकृत किये जाने विषयक विभागीय आदेश के जारी होने के दिनांक से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा। साथ ही ऐसे मामलों जिनमें समयमान वेतनमान पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है, उनमें विकल्प परिवर्तन इस शासनादेश के निर्गत होने के 90 दिन की अवधि के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा।"

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव।

पुस्तक संख्या-वे03110-2-273(1)/दस-62(एम)/2008, तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 1- महालेखाकार लेखा एवं ह्कदारी- एवं II तथा आडिट। एवं II, 30प्र0, इलाहाबाद।
 - 2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
 - 3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
 - 4- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
 - 5- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
 - 6- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण व्यूरो, वित्त विभाग।
 - 7- सगस्त मुख्य/वरिष्ठ कौषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
 - 8- 30प्र0 सचिवालय के सगस्त अनुभाग।
 - 9- इरला एक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
 - 10- निदेशक, एन0आई0सी0 के वित्त विभाग की वेब साइट पर उपलब्ध हेतु।
 - 11- गार्डयुक।


राहुल कुमार भटनागर
उप सचिव।

निर्धारण

का ग्रेड वेतन वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में प्राप्त ग्रेड वेतन से उच्च है, तो ग्रेड वेतन अपरिवर्तित रहेगा और सम्बन्धित कार्मिक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन देया होगा किन्तु यदि ऐसी पदोन्नति में वेतन बैंड भी परिवर्तित होता है और उपर्युक्तानुसार वेतन निर्धारित किये जाने पर सम्बन्धित पदधारक का वेतन बैंड में वेतन उक्त वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित वेतन बैंड में वेतन से कम होता है तो उसे उक्त सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा।

वित्तीय
स्तरान्तरण
की स्वीकृति
की प्रक्रिया
का निर्धारण

- 6- (1) वित्तीय स्तरान्तरण की अनुमन्यता के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु प्रत्येक विभाग में एक स्कीनिंग कमेटी का गठन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। उक्त स्कीनिंग कमेटी में अध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे। स्कीनिंग कमेटी में ऐसे अधिकारियों को सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा जिनके द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन उन कार्मिकों के पद के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा, जिनके सम्बन्ध में वित्तीय स्तरान्तरण की अनुमन्यता पर विचार किया जाना प्रस्तावित हो और किसी भी स्थिति में नामित सदस्य द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन श्रेणी-य के अधिकारी के ग्रेड वेतन से कम नहीं होगा। स्कीनिंग कमेटी के अध्यक्ष का ग्रेड वेतन कमेटी के सदस्यों द्वारा धारित पद के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा।
- (2) स्कीनिंग कमेटी की प्रत्येक वर्ष के माह जनवरी तथा जुलाई में सामान्यतः दो बैठकें आयोजित की जायेंगी। माह जनवरी में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह दिसम्बर तक के मामलों पर विचार किया जायेगा तथा माह जुलाई में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह जून तक के मामलों पर विचार किया जायेगा।
- (3) उक्त स्कीनिंग कमेटी द्वारा अपनी संस्तुतियों बैठक की तिथि से 15 अवधि में सम्बन्धित पदों के नियुक्ति प्राधिकारी/वित्तीय स्तरान्तरण करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेंगी।
- (4) समस्त विभागों में सम्बन्धित संवर्ग नियंत्रक अधिकारियों द्वारा यथा स्कीनिंग कमेटी का गठन किया जा सकेगा।
- (5) उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरान्तरण का साम सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी/स्वीकृती अधिकारी द्वारा विभाग की स्कीनिंग कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा।

7- ए0सी0पी0 की व्यवस्था राजकीय मस्याओं के ऐसे शैक्षिक पदों पर भी लागू होगी जिन पद राज्य कार्यधारियों के समान समकाल वेतनमान की पूर्ण व्यवस्था अनुमन्य रही है।

8- ए0सी0पी0 की उक्त व्यवस्था राज्य न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों पर लागू नहीं होगी।

प्रथम वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में पद के ग्रेड वेतन ₹0 4200/- में समान ग्रेड वेतन ₹0 4600/- देय होगा।

(ख) ऐसा पदधारक जो पद के ग्रेड वेतन ₹0 4600/- में या उसे ग्रेड वेतन ₹0 4600/- वैयक्तिक रूप से मिलता रहेगा और ए0सी0पी0 में निर्धारित सेवावधि पर प्रथम वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में ग्रेड वेतन ₹0 4800/- देय होगा।

(ग) ऐसे पदधारक जिसे प्रथम वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में ग्रेड वेतन ₹0 4800/- प्राप्त हो चुका या उसे द्वितीय वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में ग्रेड वेतन ₹0 5400/- प्राप्त होगा।

(7) ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू होने के पश्चात् सीधी भर्ती के पद पर नियुक्त पदधारक की सीधी भर्ती के पद से प्रथम पदोन्नति होने के उपरान्त केवल द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरान्तरण तथा द्वितीय पदोन्नति प्राप्त होने के उपरान्त तृतीय वित्तीय स्तरान्तरण का लाभ ही देय रह जायेगा। तीसरी पदोन्नति प्राप्त होने के पश्चात् किसी भी दशा में वित्तीय स्तरान्तरण का लाभ अनुमन्य न होगा।

(8) पुनर्निश्चित वेतन संरचना में एक ही सतह में समान ग्रेड वेतन वाले पद पर पदोन्नति होने पर उसे भी वित्तीय स्तरान्तरण माना जायेगा।

उदाहरण:- तहसीलदार के पद पर अनुमन्य वेतन बैंड-3, ₹0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन ₹0 5400/- में कार्यरत पदधारक की पदोन्नति उप जिलाधिकारी वेतन बैंड-3, ₹0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन ₹0 5400/- के पद पर होने की स्थिति में उसे वित्तीय स्तरान्तरण माना जायेगा।

परन्तु उपरान्तानुसार पदोन्नति प्राप्त वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन व्यवस्था से लाभान्वित समान पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारी से कम होने की दशा में वरिष्ठ कर्मिक का वेतन कनिष्ठ के बराबर कर दिया जायेगा। उपर्युक्तानुसार वरिष्ठ कर्मिक को कनिष्ठ समान वेतन तभी अनुमन्य होगा जबकि वरिष्ठ तथा कनिष्ठ दोनों भर्ती का स्रोत एवं सेवा शर्तें समान हों।

उदाहरण:- वरिष्ठ कर्मिक तहसीलदार के पद पर कार्यरत है और उसकी पदोन्नति उप जिलाधिकारी के समान वेतनमान के पद पर हो जाती है, किन्तु कनिष्ठ कर्मिक तहसीलदार के पद पर ही कार्यरत है और उसे निर्धारित सेवावधि पर वित्तीय स्तरान्तरण में वेतन बैंड-3, ₹0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन ₹0 6600/- अनुमन्य हो जाता है और उसका वेतन वरिष्ठ की तुलना में अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में पदोन्नति प्राप्त वरिष्ठ कर्मिक का वेतन कनिष्ठ के बराबर उस दिनांक से कर दिया जायेगा जिस दिनांक से उसका वेतन कनिष्ठ से कम हुआ

- (6) ऐसे मामलों में जहाँ किसी कारणवश प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य सादश्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में परिवर्तन होता है तो समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अधीन अनुमन्य हो चुके प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में तदनुसार परिवर्तित हो जायेंगे। अर्थात् उक्त परिवर्तन के फलस्वरूप यदि प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान उच्चीकृत होता है तो ऐसे उच्चीकरण की तिथि से उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादश्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान निम्नीकृत होने की दशा में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादश्य वेतन बैंड/ग्रेड वेतन यथावत बना रहेगा। उदाहरण संलग्नक-1 पर उपलब्ध है।

ऐसे पदधारक जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्ण व्यवस्था में लाभ मिल चुके हैं, को ए०सी०पी० का स्वीकृत किया जाना।

- 4- ऐसे कर्मिक जो दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को समयमान वेतनमान की पूर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ वैयक्तिक रूप से प्राप्त कर रहे हैं अथवा उक्त लाभ प्राप्त करने के उपरान्त उनकी वास्तविक पदोन्नति निम्न वेतनमान में होती है अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पश्चात् उसी वेतनमान/उच्च वेतनमान में होती है तो ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 अथवा उसके उपरान्त निम्नानुसार अनुमन्य होंगे :-

- (i) समयमान वेतनमान की पूर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत 08 वर्ष तथा 19 वर्ष के आधार पर अनुमन्य अतिरिक्त वेतनवृद्धि को ए०सी०पी० के अन्तर्गत देय वित्तीय स्तरान्तयन की अनुमन्यता हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।
- (ii) जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्ण व्यवस्था में 05/08/14 वर्ष की सेवा के आधार पर प्रथम वैयक्तिक उच्च वेतनमान प्राप्त हो रहा है उन्हें उक्त अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा सहित कुल 16 सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008, जो भी हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरान्तयन अनुमन्य होगा। ऐसे पदधारक पदोन्नति उपर्युक्तानुसार समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के उ दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पश्चात् समान/उच्च वेतनमान (सादश्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन) में हो जाती है तो द्वितीय ए०सी०पी० की अनुमन्यता हेतु ऐसी पदोन्नति का संज्ञान नहीं लिया जायेगा और द्वितीय ए०सी०पी० के रूप में वर्तमान में प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।
- (iii) जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्ण व्यवस्था में 14/16/18/24 वर्ष की सेवा के आधार पर द्वितीय वैयक्तिक वेतनमान प्राप्त हो रहा है उन्हें उक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा सहित कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008, जो भी बाद में हो, से तृतीय वित्तीय स्तरान्तयन अनुमन्य होगा। ऐसे पदधारक जिनकी

रूप में आगणित किया जायेगा। तदनुसार आगणित वेतनवृद्धि की धनराशि वेतन बैंड में प्राप्त वर्तमान वेतन में जोड़ी जायेगी। इस प्रकार प्राप्त धनराशि वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड में वेतन होगा, जिसके साथ वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड में परिवर्तन हुआ हो वहाँ भी इसी पद्धति का पालन किया जायेगा तथापि वेतनवृद्धि जोड़ने के बाद भी जहाँ वेतन बैंड में आगणित वेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य उच्च वेतन बैंड के न्यूनतम से कम हो, तो तदनुसार आगणित वेतन को उक्त वेतन बैंड में न्यूनतम के बराबर तक बढ़ा दिया जायेगा।

नोट:- यदि सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन किसी वर्ष में दिनांक 02 जुलाई से 01 जनवरी तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अनुवर्ती 01 जुलाई को देय होगी। **उदाहरण-** किसी सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन यदि 02 जुलाई, 2009 से 01 जनवरी, 2010 तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2010 को देय होगी।

यदि वित्तीय स्तरोन्नयन किसी वर्ष में 02 जनवरी से 30 जून तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अगले वर्ष की पहली जुलाई को देय होगी। **उदाहरण-** किसी सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन यदि 02 जनवरी, 2009 से 30 जून, 2009 तक अनुमन्य हुआ है, तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2010 को देय होगी।

उदाहरण-1 कोई कर्मिक किसी राजकीय विभाग से ग्रेड वेतन ₹0 4200/- (अथवा समकक्ष वेतनमान) के किसी पद से दूसरे राजकीय विभाग में ग्रेड वेतन ₹0 4200/- (अथवा समकक्ष वेतनमान) के किसी पद पर नियुक्त हुआ। समयमान वेतनमान की पूर्ण व्यवस्था में दो विभागों की सेवाएं न जुड़ने से उसे समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। ए0सी0पी0 की व्यवस्था में दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को उसकी सेवाएं 16 वर्ष से अधिक हो रही हैं। ए0सी0पी0 की व्यवस्था में समान वेतनमान की दो विभागों की सेवाएं जोड़े जाने की व्यवस्था के दृष्टिगत उसे दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय स्तरोंन्नयन की अनुमन्यता बन रही है। ऐसी स्थिति में उसे प्रथम वित्तीय स्तरोंन्नयन काल्पनिक रूप से मिला हुआ मानते हुए दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से द्वितीय वित्तीय स्तरोंन्नयन स्वीकृत किया जायेगा।

उदाहरण-2 किसी अधिकारी की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति वेतनमान ₹0 2200-4000 में दिनांक 02 फरवरी, 1982 को हुई। वेतनमान ₹0 2200-4000 (दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित ₹0 8000-13500) में उसे 08 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पर वेतनमान ₹0 10000-15200 दिनांक 02 फरवरी, 1990 से प्राप्त हुआ। इसके उपरान्त उसे कोई लाभ समयमान वेतनमान में नहीं मिला। ए0सी0पी0 की देयता हेतु दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को उसकी सेवाएं 26 वर्ष से अधिक की हो रही हैं। ए0सी0पी0 की व्यवस्था में उसे दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को ही द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोंन्नयन की देयता की स्थिति बन रही है। इस दशा में उसे दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से सीधे तृतीय वित्तीय स्तरोंन्नयन का लाभ स्वीकृत कर दिया

- शर्त एवं प्रतिबन्ध
- (4) सन्तोषजनक सेवा पूर्ण न होने के कारण यदि किसी कर्मिक वित्तीय स्तरोंन्नयन विलम्ब से प्राप्त होता है तो उसका प्रभाव आने वाले वित्तीय स्तरोंन्नयन पर भी पड़ेगा। अर्थात् अगले वित्तीय स्तरोंन्नयन की अनुमन्यता हेतु निर्धारित अवधि की गणना में उतनी अवधि जो कि उतनी अवधि पूर्व वित्तीय स्तरोंन्नयन प्राप्त होने की गणना में नहीं ली गयी है।
 - (5) कतिपय संवर्ग/पदों पर निर्धारित सेवावधि पर अनुमन्य किये गये नान फंक्शनल वैयक्तिक वेतनमान को इम्नोर करते हुए ए0सी0पी0 का लाभ देय होगा। राज्य में उत्तर प्रदेश सचिवालय एवं समकक्षता प्राप्त विभागों के अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव ग्रेड-1 एवं फार्मासिस्ट पदों पर नान फंक्शनल वेतनमान अनुमन्य कराये गये हैं। कालान्तर में उत्तर प्रदेश सचिवालय एवं समकक्षता प्राप्त विभागों के अनुभाग अधिकारी तथा निजी सचिव ग्रेड-1 के पदों का नान

दिए जायेंगे।

ए0सी0पी0
की व्यवस्था
में अगले
ग्रेड वेतन
का निर्धारण

2- निर्धारित सेवावधि पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होने वाले वेतन शासनादेश संख्या वे0आ0-2-1318/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर 2008 के संलग्नक-23A पर उपलब्ध तालिका के स्तम्भ-6 के अनुसार अनुमन्यता की तिथि से पूर्व प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन होगा। उक्त तालिका के अनुसार वेतनमान ₹0 22400-24500 के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैंड 4, ₹0 37400-67000 एवं ग्रेड वेतन ₹0 12000/- तक देय है। शासनादेश संख्या वे0आ0-2-287/दस-59(एम)/08, दिनांक 16 मार्च, 2010 के द्वारा राजकीय कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में पूर्व वेतनमान ₹0 22400-24500 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैंड 4 (₹0 37400-67000) एवं ग्रेड वेतन ₹0 12000/- के स्थान पर वेतनमान ₹0 67000-वार्षिक वेतनवृद्धि 03 प्रतिशत की दर से-79000 दिनांक 01 जनवरी, 2006 से स्वीकृत किया गया है। उक्त संशोधन के फलस्वरूप ए0सी0पी0 की अनुमन्यता वेतनमान ₹0 67000-वार्षिक वेतनवृद्धि 03 प्रतिशत की दर से-79000 तक होगी। इस प्रकार किसी पद पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त होने वाले ग्रेड वेतन का उसके पदोन्नति के पद के ग्रेड वेतन से कोई सम्बन्ध नहीं है फिर भी यह सम्भव हो सकता है कि कहीं-कहीं पर ए0सी0पी0 में प्राप्त ग्रेड वेतन एवं पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन एक समान हो और कहीं-कहीं पर एक समान नहीं भी हो सकता है।

उदाहरण- कनिष्ठ सहायक के पद का ग्रेड वेतन ₹0 2000/- है और उगले पदोन्नति का पद वरिष्ठ सहायक ग्रेड वेतन ₹0 2800/- में है। कनिष्ठ सहायक के पद पर 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अगले ग्रेड वेतन दिसम्बर, 2008 के संलग्नक-23A की तालिका के अनुसार ग्रेड वेतन ₹0 2400/- उपरान्त ग्रेड वेतन ₹0 2400/- है। अतः कनिष्ठ सहायक के पद पर 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड वेतन ₹0 2400/- अनुमन्य होगा।

परन्तु ए0सी0पी0 की व्यवस्था में वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अगले ग्रेड वेतन की अनुमन्यता हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन ₹0 1900/- के उपरान्त उपलब्ध ग्रेड वेतन ₹0 2000/- को इग्नोर किया जायेगा, फलस्वरूप प्रथम/द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु ग्रेड वेतन ₹0 1900/- से अगला ग्रेड वेतन ₹0 2400/- माना जायेगा।

उदाहरण- वाहन चालक के पद का ग्रेड वेतन ₹0 1900/- है। 10 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पर उसे प्रथम ए0सी0पी0 के रूप में शासनादेश 08 दिसम्बर, 2008 के संलग्नक-23A की तालिका में उपलब्ध ग्रेड वेतन ₹0 1900/- से अगला ग्रेड वेतन ₹0 2000/- के बजाए इसे इग्नोर करते हुए ग्रेड वेतन ₹0 2400/- देय होगा।

(19) किसी संवर्ग में वरिष्ठ कर्मचारी की पदोन्नति के फलस्वरूप अनुमन्य वेड वेतन कनिष्ठ कर्मचारी को ए०सी०पी० की व्यवस्था में अनुमन्य वेड वेतन से निम्न होने की स्थिति से उत्पन्न विसर्गों का निराकरण किये जाने हेतु सम्बन्धित वरिष्ठ कर्मिक को निम्नानुसार लाभ अनुमन्य कराया जायेगा :-

"संवर्ग में किसी कर्मचारी को पदोन्नति पर प्राप्त वेड वेतन अथवा इसके उपरान्त ए०सी०पी० की व्यवस्था में वित्तीय स्तरान्तरण में प्राप्त वेड वेतन किसी कनिष्ठ कर्मिक को प्राप्त हो रहे वित्तीय स्तरान्तरण में अनुमन्य वेड वेतन से निम्न होने की स्थिति में वरिष्ठ कर्मिक को कनिष्ठ के समान वित्तीय स्तरान्तरण कनिष्ठ को देय तिथि से अनुमन्य कराया जायेगा। उपर्युक्त लाभ सम्बन्धित वरिष्ठ कर्मिक को तभी अनुमन्य होगा, जबकि वरिष्ठ तथा कनिष्ठ दोनों कर्मिकों की भर्ती का स्रोत एवं सेवा शर्तें समान हों तथा यह भी कि वरिष्ठ कर्मिक की यदि पदोन्नति न हुयी होती तो वह निम्न पद पर कनिष्ठ कर्मिक को ए०सी०पी० के अन्तर्गत वित्तीय स्तरान्तरण की अनुमन्यता की तिथि से अथवा उसके पूर्व की तिथि से समान वित्तीय स्तरान्तरण के लिए अर्ह होता। उपर्युक्तानुसार कनिष्ठ के दिनांक से वरिष्ठ को वित्तीय स्तरान्तरण अनुमन्य किये जाने की स्थिति में यदि उसका वेतन कनिष्ठ से कम होता है तो उसे कनिष्ठ के बराबर किया जायेगा किन्तु यदि उसका वेतन कनिष्ठ से अधिक होता है तो उसे कम नहीं किया जायेगा।"

उदाहरण- वरिष्ठ कर्मिक को समयमान वेतनमान में प्रथम पदोन्नति वेतनमान दिसम्बर, 2004 में प्राप्त हुआ और उसकी पदोन्नति दिसम्बर, 2005 में समयमान वेतनमान के रूप में प्राप्त कर रहे वेतनमान में ही हो जाती है भी वह दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को धारित पद के साधारण वेतनमान प्राप्त होता जाता है। फलस्वरूप उसे उस पद पर मिल रहे वेड वेतन से अगला वेड वेतन सीधी भर्ती की भाँति अगले 10 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा अर्थात् 01 दिसम्बर, 2015 में अनुमन्य होगा। कनिष्ठ कर्मचारी जिसे 14 वर्ष की सेवा के लिए समयमान वेतनमान दिसम्बर, 2005 में प्राप्त हुआ और उसकी पदोन्नति 01 दिसम्बर, 2008 को ही उसे वर्तमान में मिल रहे वेड वेतन से अगला वेड वेतन प्राप्त हो जायेगा। वरिष्ठ कर्मचारी की यदि पदोन्नति न हुयी होती तो उसे भी कनिष्ठ की तिथि अथवा उसके पूर्व ही कनिष्ठ को अनुमन्य हुआ वेतनमान द्वितीय वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में प्राप्त हो जाता। ऐसे मामले में वरिष्ठ को भी कनिष्ठ की अनुमन्यता की तिथि से द्वितीय वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में कनिष्ठ के समान वेड वेतन अनुमन्य कर दिया जायेगा और शेष में तृतीय वित्तीय स्तरान्तरण भी कनिष्ठ की भाँति सेवा मानते

उदाहरण-1 किसी कार्मिक की सीधी भर्ती से नियमित नियुक्ति 02 जनवरी, 1990 को हुयी। समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 31 पदोन्नति/अगला वेतनमान अनुमन्य नहीं हुआ। ए0सी0जी0 की व्यवस्था से उसे प्रथम वित्तीय स्तर0न्नयन 10 वर्ष से अधिक की सन्तोषजनक सेवा पर दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से अनुमन्य हुआ। उसकी 16 वर्ष की कुल सेवा दिनांक 02 जनवरी, 2011 को पूर्ण हो रही है। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार उसे 02 जनवरी, 2011 से अनवरत सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने की स्थिति में द्वितीय वित्तीय स्तर0न्नयन देय होगा, यद्यपि दिनांक 02 जनवरी, 2011 को उसकी सेवाएं प्रथम वित्तीय स्तर0न्नयन प्राप्त होने के दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से 06 वर्ष पूर्ण नहीं हो रही हैं।

उदाहरण-2 किसी कार्मिक की सीधी भर्ती से नियमित नियुक्ति 05 मार्च, 2000 को हुयी। 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पूर्व एवं दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के उपरान्त उसकी प्रथम पदोन्नति दिनांक 05 फरवरी, 2009 को हो जाती है तो उसे द्वितीय वित्तीय स्तर0न्नयन दिनांक 05 फरवरी, 2009 से 06 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने के दिनांक 05 फरवरी, 2015 से देय होगा।

उदाहरण-3 किसी कार्मिक की सीधी भर्ती से नियमित नियुक्ति 05 मार्च, 2000 को हुयी। 10 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने के दिनांक 05 मार्च, 2010 से प्रथम वित्तीय स्तर0न्नयन स्वीकृत किया गया। इसके उपरान्त उसकी प्रथम पदोन्नति दिनांक 02 जून, 2012 को हो जाती है तो उसे द्वितीय वित्तीय स्तर0न्नयन दिनांक 05 मार्च, 2010 से 06 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने के दिनांक 05 मार्च, 2016 से देय होगा।

(ग) उपर्युक्त श्रेणी के कार्मिकों को तृतीय वित्तीय स्तर0न्नयन, द्वितीय वित्तीय स्तर0न्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा अथवा उक्त पद के सन्दर्भ में कुल 26 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर देय होगा।

सम्बन्धित पदधारक को यदि प्रथम और द्वितीय वित्तीय स्तर0न्नयन एक ही दिनांक को देय होता है, तो यह मानते हुए कि उसे प्रथम वित्तीय स्तर0न्नयन काल्पनिक रूप से प्राप्त हो चुका है, सीधे द्वितीय वित्तीय स्तर0न्नयन अनुमन्यता के दिनांक को देय होगा। इसी प्रकार द्वितीय और तृतीय वित्तीय स्तर0न्नयन एक ही दिनांक को देय होने पर यह मानते हुए कि उसे द्वितीय वित्तीय स्तर0न्नयन काल्पनिक रूप से प्राप्त हो चुका है, सीधे तृतीय वित्तीय स्तर0न्नयन अनुमन्यता के दिनांक को देय होगा। काल्पनिक अनुमन्यता में वेतन निर्धारण का लाभ देय न होगा।

उदाहरण-1 किसी कार्मिक की सीधी भर्ती से नियमित नियुक्ति 02 जनवरी, 1995 को हुयी। समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 50 पदोन्नति/अगला वेतनमान अनुमन्य नहीं हुआ। ए0सी0पी0 की व्यवस्था में उसे प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन 10 वर्ष से अधिक की सन्तोषजनक सेवा पर दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से अनुमन्य हुआ। उसकी 16 वर्ष की कुल सेवा दिनांक 02 जनवरी, 2011 को पूर्ण हो रही है। ऐसी स्थिति में उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार उसे 02 जनवरी, 2011 से अनवरत सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने की स्थिति में द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा, यद्यपि दिनांक 02 जनवरी, 2011 को उसकी सेवाएं प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने के दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से 06 वर्ष पूर्ण नहीं हो रही हैं।

उदाहरण-2 किसी कार्मिक की सीधी भर्ती से नियमित नियुक्ति 05 मार्च, 2000 को हुयी। 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पूर्व एवं दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के उपरान्त उसकी प्रथम पदोन्नति दिनांक 05 फरवरी, 2009 को हो जाती है तो उसे द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक 05 फरवरी, 2009 से 06 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने के दिनांक 05 फरवरी, 2015 से देय होगा।

उदाहरण-3 किसी कार्मिक की सीधी भर्ती से नियमित नियुक्ति 05 मार्च 2010 को हुयी। 10 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने के दिनांक 2010 से प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत किया गया। इसके उसकी प्रथम पदोन्नति दिनांक 02 जून, 2012 को हो जाती है तो वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक 05 मार्च, 2010 से 06 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने के दिनांक 05 मार्च, 2016 से देय होगा।

(ग) उपयुक्त श्रेणी के कार्मिकों को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन, द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ब्रेड वेतन में 10 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा अथवा उक्त पद के सन्दर्भ में कुल 26 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर देय होगा।

सम्बन्धित पदधारक को यदि प्रथम और द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन एक ही दिनांक को देय होता है, तो यह मानते हुए कि उसे प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन कार्यात्मिक रूप में प्राप्त हो चुका है, साथे द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्यता के दिनांक को देय होगा। इसी प्रकार द्वितीय और तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन एक ही दिनांक को देय होने पर यह मानते हुए कि उसे द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन कार्यात्मिक रूप से प्राप्त हो चुका है, सीधे तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्यता के दिनांक को देय होगा। कार्यात्मिक अनुमन्यता में वेतन निर्धारण का साधन देय न होगा।

फंक्शनल वेतनमान दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 से समाप्त हो गया। अब प्रदेश में केवल फार्मासिस्ट के पद पर नान फंक्शनल वेतनमान देय है। अतः अन्य किसी सेवा संवर्ग/पद पर नान फंक्शनल वेतनमान देय न होने के कारण उसे इग्नोर किये जाने की स्थिति नहीं बनेगी। फार्मासिस्ट ग्रेड वेतन ₹0 2800/- के पद पर दो वर्ष की सेवा पर ग्रेड वेतन ₹0 4200/- नान फंक्शनल वेतनमान के रूप में देय है। फार्मासिस्ट के पद पर 10 वर्ष की नियमित सन्तोषजनक सेवा पूर्ण होने पर उसे प्रथम वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में (ग्रेड वेतन ₹0 4200/- जो उसे नान फंक्शनल वेतनमान के रूप में प्राप्त हुआ है, को इग्नोर करते हुए) ग्रेड वेतन ₹0 4600/- देय होगा।

- (6) किसी पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन किसी समय बिन्दु पर उच्चिकृत होने की स्थिति में वित्तीय स्तरान्तरण की अनुमन्यता हेतु सेवावधि की गणना में पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन तथा उच्चिकृत वेतनमान/ग्रेड वेतन में की गयी सेवाओं को जोड़कर उच्चिकृत ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में अनुमन्य होगा।

ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरान्तरण अनुमन्य होने के उपरान्त यदि उस पद (जिसके सन्दर्भ में उसे उक्त वित्तीय स्तरान्तरण अनुमन्य हुआ है) का वेतन बैंड/ग्रेड वेतन उच्चिकृत होता है तो ऐसे उच्चिकरण की तिथि से वित्तीय स्तरान्तरण प्राप्त कार्मिक का वेतन बैंड/ग्रेड वेतन भी तदनुसार उच्चिकृत हो जायेगा।

परन्तु किसी पद का ग्रेड वेतन निम्नीकृत (Down Grade) फलस्वरूप यदि सम्बन्धित पद पर पूर्व से कार्यरत कार्मिकों को पद का ग्रेड वेतन वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किया गया हो तो उन्हें ए0सी0 व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में उक्तानुसार वैयक्तिक अनुमन्य ग्रेड वेतन का अगला ग्रेड वेतन वैयक्तिक रूप से देय होगा।

ऐसे पद पर पूर्व से कार्यरत कार्मिक को यदि कोई वित्तीय स्तरान्तरण अनुमन्य हो चुका है तो उसे प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन को निम्नीकृत नहीं किया जायेगा।

इसके उपरान्त अगला वित्तीय स्तरान्तरण देय होने पर उसे प्राप्त हो रहे वैयक्तिक ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

उदाहरण-1 दिनांक 01 जनवरी, 2006 से सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद का ग्रेड वेतन ₹0 4600/- था। ए0सी0पी0 की व्यवस्था में 10 वर्ष की सेवा पर समीक्षा अधिकारी के पद पर प्रथम वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में ग्रेड वेतन ₹0 4800/- देय था। दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 से समीक्षा अधिकारी के पद

पुनरीक्षित वेतन संरचना में लागू ए0सी0पी0 के अन्तर्गत अनुमन्य वित्तीय स्तरोंनयन में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया

पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रभावी ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अनुसार वित्तीय स्तरोंनयन अनुमन्य होने पर सम्बन्धित कार्मिक का वेतन वित्तीय नियम संघ खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 22बी(1) के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। सम्बन्धित सरकारी कार्मिक को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोंनयन अनुमन्य होने पर वित्तीय नियम-23(1) के अन्तर्गत यह विकल्प होगा कि वह वित्तीय स्तरोंनयन अनुमन्य होने की तिथि अथवा अगली वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण करवा सकता है। पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :-

(1) यदि सम्बन्धित सरकारी सेवक वित्तीय स्तरोंनयन अनुमन्य होने पर निम्न ग्रेड वेतन की वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरोंनयन अनुमन्य होने की तिथि को वर्तमान वेतन ग्रेड में वेतन अपरिवर्तित रहेगा, किन्तु वित्तीय स्तरोंनयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय होगा। अगली वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात् 10 जुलाई को वेतन पुनर्निर्धारित होगा। इस तिथि को सम्बन्धित सेवक को दो वेतनवृद्धियां, एक वार्षिक वेतनवृद्धि तथा दूसरी वेतनवृद्धि वित्तीय स्तरोंनयन के फलस्वरूप देय होगी। इन दोनों वेतनवृद्धियों की गणना वित्तीय स्तरोंनयन अनुमन्य होने के पूर्व के मूल वेतन के आधार पर की जायेगी। उदाहरण स्वरूप, यदि स्तरोंनयन के अनुमन्य होने की तिथि से पूर्व मूल वेतन ₹0 100 प्रथम वेतन वृद्धि की गणना ₹0 100 पर तथा द्वितीय वेतनवृद्धि ₹0 103 पर की जायेगी।

(2) यदि सरकारी सेवक वित्तीय स्तरोंनयन अनुमन्य होने की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरोंनयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में उसका वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा :-

वर्तमान वेतन ग्रेड में वेतन तथा वर्तमान ग्रेड वेतन के योग की 0 प्रतिशत वार्षिक की अगले 10 में पुनर्निर्धारित करते हुए एक वेतनवृद्धि

3- समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक यथावत लागू है। पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक लागू समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ निम्नानुसार अनुमन्य कराये जायेंगे :-

- (1) 08 वर्ष एवं 19 वर्ष की सेवा के आधार पर देय अतिरिक्त वेतनवृद्धि की धनराशि की गणना सम्बन्धित पदधारक को तत्समय अनुमन्य मूल वेतन (बैंड वेतन + ग्रेड वेतन) के 03 प्रतिशत की दर से आणवित धनराशि को अगले 10 रु० में पूर्णांकित करते हुए की जायेगी। सम्बन्धित कर्मचारी को अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जुलाई को देय होगी।
- (2) 14 एवं 24 वर्ष की सेवा के आधार पर क्रमशः प्रथम अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होने पर अनुमन्यता की तिथि को सम्बन्धित कर्मिक का वेतन प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय ग्रेड वेतन अनुमन्य कराते हुए निर्धारित किया जायेगा और बैंड वेतन (वेतन बैंड में वेतन) अपरिवर्तित रहेगा। उक्तानुसार निर्धारित बैंड वेतन यदि उस ग्रेड वेतन में सीधी भती हेतु निर्धारित न्यूनतम बैंड वेतन से कम होता है तो सम्बन्धित पदधारक का बैंड वेतन उस सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा।
- (3) वेतन बैंड ₹ 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन ₹ 5400/- तथा उससे उच्च वेतन बैंड अथवा ग्रेड वेतन के पट्टे पर समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने पर पूर्व उप प्रस्तर-2 एवं 3 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार वेतन की कार्यवाही की जायेगी।
- (4) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत समयावधि के आधार पर वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य होने के उपरान्त सम्बन्धित कर्मचारी के वैयक्तिक वेतनमान में वास्तविक रूप से पदोन्नति/नियुक्ति प्राप्त होने की तिथि में सम्बन्धित कर्मिक का वेतन निर्धारण 03 प्रतिशत की दर से एक वेतनवृद्धि देते हुए किया जायेगा। सम्बन्धित कर्मचारी को अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जुलाई को देय होगी।
- (5) संवर्ग में वरिष्ठ कर्मिक को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ अपुनरीक्षित वेतनमानों में अनुमन्य होने तथा कनिष्ठ कर्मिक को वही लाभ पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य होने के फलस्वरूप यदि वरिष्ठ कर्मिक का वेतन कनिष्ठ की तुलना में कम हो जाता है तो सम्बन्धित तिथि को वरिष्ठ कर्मिक का वेतन कनिष्ठ को अनुमन्य वेतन के बराबर निर्धारित कर दिया जायेगा।

	(ii) अनुसेवक "बी" को द्वितीय वित्तीय स्तरोंन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन।	₹0 5200/ 20200 एग ₹0 1800/-
	(iii) अनुसेवक "सी" को तृतीय वित्तीय स्तरोंन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन।	₹0 5200/ 20200 एग ₹0 2400/-
5-	दिनांक 08 सितम्बर, 2010 को समूह "घ" अनुसेवक के पद पर अनुमन्य संशोधित/उच्चकृत वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	₹0 5200/ 20200 एग ₹0 1800/-
6-	समूह "घ" अनुसेवक के पद पर वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन संशोधित/उच्चकृत होने के फलस्वरूप दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से काल्पनिक तथा दिनांक 08 सितम्बर, 2010 से वास्तविक रूप से निम्नानुसार देय होगा :- (i) अनुसेवक "ए" को प्रथम वित्तीय स्तरोंन्नयन के रूप में अनुमन्य संशोधित/उच्चकृत वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन। (ii) अनुसेवक "बी" को द्वितीय वित्तीय स्तरोंन्नयन के रूप में अनुमन्य संशोधित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन। (iii) अनुसेवक "सी" को तृतीय वित्तीय स्तरोंन्नयन के रूप में अनुमन्य संशोधित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन। नोट:- उच्चकरण के मामलों में वेतन निर्धारण में उच्चकृत ग्रेड वेतन ही देय होगा, वेतनवृद्धि नहीं।	₹0 5200/ 20200 एग ₹0 1900/- ₹0 20200 ₹0 2400/- ₹0 2400/-

उदाहरण:-3 कोई पद वेतन बैंड-2 एवं ग्रेड वेतन ₹0 4600/- का था। इस पद के पदधारकों में से किसी एक पदधारक को प्रथम वित्तीय स्तरोंन्नयन के रूप में ग्रेड वेतन ₹0 4800/- स्वीकृत हुआ था तथा अन्य कोई एक पदधारक पद के साधारण वेतनमान में था। इसके उपरान्त पद का ग्रेड वेतन ₹0 4600/- से निम्नीकृत कर ₹0 4200/- इस प्रतिबन्ध के साथ किया गया कि इस पद के वर्तमान पदधारकों को ग्रेड वेतन ₹0 4600/- वैयक्तिक रूप से देय रहेगा।

ऐसी मामलों में ए0सी0पी0 की व्यवस्था के नाम निम्नानुसार देय होंगे :-

(अ) पद का ग्रेड वेतन निम्नीकृत होने के उपरान्त नियुक्त होने वाले कर्मिक को

पदोन्नति उपर्युक्त लाभ प्राप्त करने के उपरान्त निम्न वेतनमान में अगला वेतन प्राप्त करने के अभाव में दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पश्चात् समान/उच्च वेतनमान (साधारण वेतन ग्रेड एवं ग्रेड वेतन) में हो जाती है तो तृतीय ए०सी०पी० की अनुमन्यता हेतु ऐसी पदोन्नति का संज्ञान नहीं लिया जायेगा और उसे अनुमन्यता की तिथि को प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

परन्तु,

दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पूर्व प्राप्त पदोन्नति अथवा समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान के साधारण ग्रेड वेतन पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनमानों के संवित्तिगत/पदी के उच्चोत्थरण के फलस्वरूप सम्बन्धित पद के साधारण ग्रेड वेतन के समान हो जाने की स्थिति में ऐसी पदोन्नति अथवा पदोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान को ए०सी०पी० की व्यवस्था का लाभ देते समय संज्ञान में नहीं लिया जायेगा और उसकी कुल सेवावधि को सम्बन्धित पद पर की गयी सेवा मानते हुए ए०सी०पी० का लाभ देय होगा।

(iv) वरिष्ठ कार्मिक को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में प्रथम/द्वितीय वैयक्तिक पदोन्नति/अगला वेतनमान अनुमन्य होने और कनिष्ठ कार्मिक को ए०सी०पी० के रूप में प्रथम/द्वितीय ए०सी०पी० अनुमन्य होने के फलस्वरूप वरिष्ठ का वेतन, कनिष्ठ के सापेक्ष कम होने से उत्पन्न विसंगति के निराकरण हेतु वरिष्ठ का वेतन भी कनिष्ठ के समान विसंगति के दिनांक से कर दिया जायेगा। उपर्युक्त लाभ सम्बन्धित वरिष्ठ कार्मिक को तभी अनुमन्य होगा जबकि वरिष्ठ तथा कनिष्ठ दोनों कार्मिकों की भर्ती का स्रोत एवं सेवा शर्तें समान हों।

(v) यदि सम्बन्धित कार्मिक दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को धारित पद के सापेक्ष समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर वैयक्तिक वेतनमान में कार्यरत है तो पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त वैयक्तिक वेतनमान की अनुमन्यता हेतु जिन तदर्थ सेवाओं को गणना में लिया जा चुका है, ए०सी०पी० की व्यवस्था में आगे वित्तीय स्तरोंन्नयन की अनुमन्यता हेतु गणना में लिया जायेगा। जिन कार्मिकों को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में 08 वर्ष की सेवा के आधार पर वेतनवृद्धि दिये जाने हेतु तदर्थ सेवाओं को जोड़ा गया है, उन्हें ए०सी०पी० का लाभ दिये जाने हेतु भी तदर्थ सेवाओं को जोड़ा जायेगा।

ए०सी०पी० की व्यवस्था में वित्तीय स्तरोंन्नयन अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण नियम-2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। तदोपरान्त कर्मचारी की ग्रेड वेतन, जो वित्तीय स्तरोंन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ है, में नियमित पदोन्नति होने पर कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि पदोन्नति के पद